

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर
 मुकदमा संख्या/वर्ष कुलदीप बनाम राजेंद्र
45/2024

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/9/23	पत्रावली पेश हुई। <u>21.09.23</u> को पेश की जाकर <u>21/9/23</u> को पेश <u>5</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तजवी/जवाब
	21/9/23	पत्रावली पेश हुई। <u>वकील राजेंद्र 35</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तजवी/जवाब <u>21/11/23</u> को पेश
	21/11/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी विधानसभा जयपुर-2023 में वास्तु होने से पत्रावली में अज्ञात तारीख पत्रों को जाकर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>23/10/24</u> को पेश हो। <u>5</u>
	23/01/24	पत्रावली पेश हुई। <u>वकील राजेंद्र 35</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तजवी/जवाब दिनांक <u>26/4/24</u> को पेश हो
	26/4/24	पत्रावली पेश हुई। <u>वकील राजेंद्र 35</u> तजवी/जवाब में अपने पत्रावली 128 पत्रावली/2024/182 दिनांक 26/4/24 को पेश की गई। 11 दिनों शांति दिनांक कि पत्रावली <u>वकील राजेंद्र 35</u>

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

कुलाहील ~~अहकाम~~ नाम राजेंद्र वर्मा

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी जमवारासगढ़

संख्या 45/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>व पैलेकार हाकर व वहाल डती गडी तवक जडागवाी से उपलब्ध डातावेजात का आवसोका विपत गवता अवलोकन पर तहसीलदार टिपोटी से पाता कि गता नैकावाल इ नवसे के पीके से भिन्नता है। जिनकी टिपोटी से संबंध विजात से तहसीलदार डाटा जितवाई या उकी है। अतः पैले/विपति से सीमासात क पत्युगदी गडी की जा सकती है। अतः शर्त है। अतः जितवाई या उकी चारा 128 एल. आर. एक्ट से शर्तित विपत पाता है। निरीत सटे उपलान डतात गता। पत्रवाली केवल 23 जालकोक नाखत से कर है वपत वास प्रति डा. विपत पाता है।</p>	
		<p>उप खण्ड अधिकारी जमवारासगढ़</p>	